पत्र संख्या–11/न0वि0–विविध–02/2022– 181 /न0प्रशा0निदे0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

प्रेषक,

उमाकांत पाण्डेय,
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

सेवा में

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम।
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 21/01/22

विषयः–बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबधित दूरसंरचार अवसंरचना नियमावली 2020 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस युक्त लीज एकरारनामा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका–5.2.8.1 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि नमूना जाँच में राज्य के 09 जिलों–यथा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया एवं सीवान के नगर निगम/नगर परिषद् के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 09 मोबाईल टावर कम्पनियों यथा, डिश नेट वायरलेस लि0, भारती टेलि वेन्चर, टावर विजन इंडिया प्रा0 लि0, भारती इन्फ्राटेल लि0, आईडिया सेलुलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस, टाटा टेलि0 सर्विस लि0, ऐसार टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, वायरलेस टी0टी0 इन्फो सर्विस लिमिटेड तथा आदित्य बिरला टेलिकॉम लि0 ने उनके उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था तथा भूमि/भवन मालिकों से पाँच से बीस वर्षों के लिए 100 रूपये के मुद्रांक पत्र पर एकरारनामा किया गया। ये सभी एकरारनामा एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पट्टा दस्तावेज की श्रेणी में आते थे जिसके लिए मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस अपेक्षित था, परन्तु समाहर्त्ता द्वारा समुचित मुद्रांक शुल्क के अधिनिर्णय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों का नगर निगम/नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने के फलस्वरूप 33.83 लाख रूप्ये का मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया गया।

2. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की उक्त कंडिका के संदर्भ में दिनांक 14.01.2022 को अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निकाय बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबधित दूरसंरचार अवसंरचना नियमावली 2020 के तहत मोबाईल टावर की स्थापना हेतु मोबाईल टावर कम्पनियों तथा भूमि/भवन मालिकों के बीच लीज एकरारनामा, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस युक्त निबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने के पश्चात् ही मोबाईल टावर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

3. अनुरोध है कि उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21/01/22

अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

5.2.8.1 लिखतों के त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 तथा 38(2) के अनुसार, किसी लोक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कोई लिखत, जो कि उनके विचार से शुल्क प्रभार योग्य है तथा यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि ऐसा लिखत समुचित ढंग से मुद्रांकित नहीं है वे इसे जब्त कर सकते हैं तथा इसको समुचित मुद्रांक शुल्क के अधिनिर्णय के लिए सामाहर्त्ता को मूल रूप से भेज सकते हैं।

नमूना जाँचित नौ[6] जिलों के नगर निगम/नगर परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकन किया कि नौ मोबाइल टावर कंपनियों[7] ने उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दिया था तथा भूमि/भवन मालिकों से पाँच से बीस वर्षों के लिए 100 रुपये के मुद्रांक पत्र पर एकरारनामा किया। लिखतों का अध्ययन करने पर हमने पाया कि ये सभी एकरारनामा एक वर्ष से अधिक की अवधि वाले पट्टा[8] दस्तावेज की श्रेणी में आते थे जिसके लिए मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस अपेक्षित था। परंतु समाहर्त्ता द्वारा समुचित मुद्रांक शुल्क के अधिनिर्णय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों का नगर निगम/नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने के फलस्वरूप ₹ 33.83 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2010) कि मामले की जाँच की जा रही है तथा यदि आवश्यक हुआ तो मुद्रांक शुल्क की वसूली की जाएगी। विभाग ने आगे कहा कि निबंधन फीस तभी आरोपण योग्य है, जब कोई दस्तावेज निबंधन अधिनियम के अंतर्गत निबंधित होता हो तथा हमारे द्वारा दिए गए सुझाव पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 73 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समाहर्त्ता को निर्देश जारी किया। आगे उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

---

6 गया, गोपालगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया एवं सीवान।

7 डिश नेट वायरलेस लि0, भारती टेलि वेन्चर, टावर विजन इंडिया प्रा0 लि0, भारती इन्फाटेल लि0, आईडिया सेलुलर इन्फ्रास्ट्रकचर सर्विस, टाटा टेलि0 सर्विस लि0, ऐसार टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, वायरलेस टी0 टी0 इन्फो सर्विस लि0 तथा आदित्य बिरला टेलिकॉम लि0।

8 'पट्टा' का अर्थ है स्थाई सम्पती को पट्टा पर देना और इसमें शामिल है
(क) पट्टा,
(ख) काबूलियत (कबूलियत या काबूलियत) एक वचनबंध है जो खेती करने या हासिल करने और पट्टे पर देने का एकरारनामा या लिखित रूप से कोई अन्य बचनबंध है जो कि खेती करने, हासिल करने या लगान देने से संबंधित अचल सम्पति को पट्टे पर देने का पूरक नहीं है।
(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी भी तरह का पथकर किराया पर दिया जाना।
(घ) पट्टे पर दिये जाने के लिए कोई लिखावट जो आवेदन स्वीकृत होने का द्योतक हो।